

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपसवण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

~~20/8/25 इकजाई तारीख से पेश~~
किया गये अधिकारी अन्य कार्य में
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 20/9/25
को पेश हो।
42

12/11/25
पत्रावली इकजाई तारीख से पेश हुई।
वकील वादी उप०। वास्तु पेश होने तपवी
रिपोर्ट अंतिम अवसर दिया जाकर
दिनांक 5/12/25 को पेश हो। अथवा
पत्रावली 09/12/25 में स्वारिज कर दिया
जावेगी।

SDO.

05.12.25 अतिमाषक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 05.01.26
को पेश हो

05.01.26 अतिमाषक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 09.02.26
को पेश हो

17
NIPANUS
12/11/26

12/11/26

आज यह पत्रावली (बले वादी व वकील वादी)
के निवेदन पर तलक होकर पेश हुई।
(बले वादी व वकील वादी ने आदेशिका)

न्यायालय उपसवण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

या दस्तावेज करते हुए पत्रावली को Not
प्रमाण में स्वीकार करने का निवेदन किया
गया कि पत्रावली वादी के निवेदन पर
पत्रावली : नोटप्रमाण में स्वीकार की जाती है
पत्रावली का प्रतीक नमक से क्या
क्या जमा लेकर जमा है

100

न्यायालय राजगढ़
उपखण्ड अधिकारी

100/2020
100/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुयम या चार्जवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तामील
में जारी हुए।

भौरया उर्फ भौरैलाल बनाम पप्पूराम

प्रार्थना पत्र-212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या- 02/48/2023

24.03.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी के खाता संख्या 565 खसरा संख्या 461/1.34, 470/0.22, 471/0.05, 472/0.02, 473/0.02, 474/0.23, 475/0.07, 481/0.16, 482/0.23, 483/0.20 वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर के विशिष्ट भाग पर जबरन कब्जा कर कोई निर्माण कार्य न करें ना ही आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल करें, ना ही आराजी के कब्जे कास्त व उपयोग-उपभोग अर्थात फसल बोने-जोतने काटने लाने-ले-जाने आदि में प्रार्थी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें एव मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है-

- मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।
- प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।
- प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को वो विवादित आराजी के खाता संख्या 565 खसरा संख्या 461/1.34, 470/0.22, 471/0.05, 472/0.02, 473/0.02, 474/0.23, 475/0.07, 481/0.16, 482/0.23, 483/0.20 वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर से अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.04.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि विवादित आराजी पर आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखें। एवं वादी के हिस्से की आराजी पर निर्माण नही करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 20.04.2023 को उपरिथत न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला-अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/11/25
पत्रावली पेश। वकील पार्थि उप०।
वार्डन तलबी रिपोर्ट दिनांक 5/12/25
को पेश हो।

S.D.O.

05/12/25... अभिभाषक नण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 05.12.25
को पेश हो

S.D.O.

05/12/26... अभिभाषक नण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 09.12.26
को पेश हो

S.D.O.

12/11/26 पत्रावली मिलने वाली व वकील पार्थि
द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 9/12/26 से तलब
के पत्र 5/12/26 को पेश किया गया।
वार्डन तलबी रिपोर्ट दिनांक 5/12/25
को पेश हो।
पत्रावली मिलने वाली व वकील पार्थि
द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 9/12/26 से तलब
के पत्र 5/12/26 को पेश किया गया।
वार्डन तलबी रिपोर्ट दिनांक 5/12/25
को पेश हो।

S.D.O.

3. 2025
NUPPMS
12/11/26